राजस्थान सरकार
औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,
राजस्थान, जयपुर।

कमांक डीसी–2/ए–3/अनो/14/ दिनांक

समस्त सहायक औषधि नियंत्रक, राजस्थान।
समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान।

अलर्ट नोटिस

विषयः– जयपुर में पकडी गई नकली दवा के प्रकरण में कार्यवाही बाबत।

औषधि नियंत्रण संगठन, जयपुर को प्राप्त शिकायत पर दिनांक 4.06.2014 को औषधि नियंत्रण अधिकारियों द्वारा इंजेक्शन ALBUREL (Human Normal Albumin I.P.), B.No. 4B40000796 निर्माता मै0 रिलायन्स लाईफ साईन्सेज के नाम से बेची जा रही दवा बरामद की गई। दवा निर्माता कम्पनी द्वारा निर्मित दवा का मिलान करने पर यह सुनिश्चित किया गया कि यह औषधि नकली है।

अतः आप सभी को अलर्ट नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त नकली दवा की बिक्री एवं उपयोग पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगावें एवं उपलब्ध स्टॉक को सीज करें तथा इसकी सूचना तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करें। असली एवं नकली दवा में जो अन्तर है वह संलग्न है।

[redacted]।

औषधि नियंत्रक,
राजस्थान, जयपुर

कमांक डीसी–2/ए–3/अनो/12/434 दिनांक 10/6/14

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित है :–

1. उप औषधि नियंत्रक(भारत), सी0डी0एस0सी0ओ0 (नार्थ जोन), कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद।
2. कार्यकारी निदेशक, आर0एम0एस0सी0एल0, मुख्यालय।
3. निजी सचिव, मिशन डायरेक्टर, एन0आर0एच0एम0, राज0 जयपुर।
4. निदेशक (जन स्वास्थ्य/प0क0/आईईसी/एडस/एम0एस0यू0/ई0एस0आई0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज0 जयपुर।
5. राज्य औषधि नियंत्रक, साई रोड, बद्दी जिला सोलन (एच0पी0)।
6. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राज0 जयपुर।
7. समस्त अधीक्षक, सामुहिक चिकित्सालय समूह, राजस्थान।
8. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
10. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त सभी अधिकारियों को आदेश की प्रति e-mail से भी भिजवावें तथा Drugs Control में विभागीय Website पर upload करने का श्रम करें।
11. रक्षित पत्रावली।

औषधि नियंत्रक,
राजस्थान, जयपुर।

D:\Pradeep Ji\Alert Notice.doc